न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी **श्री बी.एल कोठारी**

आई.ए.एस.

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1.ठाकराराम पुत्र फगलू 2.रामकिशन पुत्र फगलू 3.भगवानाराम पुत्र फगलू 4.मीरा पुत्री फगलू 5.विरधा पुत्र चौथाराम 6.सुखराम पुत्र चौथाराम 7.पारू पत्नि चौथाराम तमाम जाति विश्नोई निवासीगण चिम्बडा तहसील चितलवाना जिला जालोर		1.गिरधारी गोद पुत्र पोकरा के कायम मुकाम:- 1/1.बाबू पुत्र गिरधारी 1/2.मोहन पुत्र गिरधारी 1/3.गणपत पुत्र गिरधारी 1/4.मिरगो पत्नि गिरधारी तमाम जाति विश्नोई निवासीगण चिम्बडा तहसील चितलवाना जिला जालोर 1/5.एलसी पुत्री गिरधारी पत्नि सदराम निवासी घुणीया तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर 2.अणसी पुत्री गिरधारी पत्नि जयकिशन के कायम मुकाम:- 2/1.मैनाकुमारी पुत्री जयकिशन 2/2.शीलाकुमारी पुत्री जयकिशन मैनाकुमारी व शीला कुमारी नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता जयकिशन पुत्र गुलाराम जाति विश्नोई निवासी दूठवा तहसील चितलवाना जिला जालोर 3.मोबता पुत्र हरचंद 4.मगा पुत्र हरचंद 5.ठाकरा पुत्र हरचंद 6.भगवाना पुत्र हरचंद तमाम जाति विश्नोई निवासीगण चिम्बडा तहसील चितलवाना जिला जालोर 7.सरकार जरिये तहसीलदार चितलवाना जिला जालोर

प्रकरण संख्या अपील 24/2018

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

....

पक्षकारान के अधिवक्तागण:-

1- श्री परमानंद शर्मा/श्री निखिल दवे अभिभाषक अपीलान्टस

2- श्री जगदीश गोदारा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/5 व 2/1 से 2/2

3- श्री नवीन कुमार गहलोत अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 6

4- श्री छोटूसिंह सरकारी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-05.09.2018

1. अपीलान्टस ने यह अपील तहसीलदार चितलवाना के आदेश दिनांक 08.05.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।जो ग्राम दुठवा के नामान्तरकरण संख्या 525 पर पारित किया गया है।

2. अपीलान्टस के अभिभाषक द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित नामान्तरकरण की सही प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रकरण में दोनो पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

3. अपीलांटस के विद्वान अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यो के समर्थन में तर्क दिया कि सरहद मौजा चिम्बडा तहसील चितलवाना में स्थित आराजी वर्तमान खसरा नंबर 575, 872/2334, 872/2611, 873, 874 एवं 875 कुल रकबा 9.8900 हैक्टर की आई हुई है। जो अपीलांटस के पूर्वज फगलू एवं चौथाराम के नाम की थी। इसी प्रकार खसरा नंबर 565, 566, 567/2340, 567/ 2383, 576, 577, 578, 579, 2815/2340, एंव 2816/577 कुल रकबा 13.4700 हैक्टर एवं खसरा नंबर 581 ,581/2385 रकबा 2.39 हैक्टर आई हुई है जो अपीलांटस एवं रेस्पोडेन्ट के संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। ग्राम चिम्बडा में हनवन्ता पुत्र मादा जाति विश्नोई जो की निवासी दुठवा का मूल निवासी था एवं ग्राम चिम्बडा में भी निवास करता था। उसके कुल तीन जायन्दा पुत्र थे फगलू,चौथा, गिरधारी। उक्त तीनो लडको में से गिरधारी पोकरा पुत्र चिमा जाति विश्नोई को दिनांक 21.06.1972 को पंजीकृत गोदनामा के जरिये गोद पुत्र बन चुका था। परन्तु गिरधारी का अपने जायन्दा पिता हवन्ता की खातेदारी आराजी में राजस्व रेकर्ड में बहैसियत पुत्र के नाम चलता रहा। हनवन्ता का स्वर्गवास हो चुका है तथा उसके दो पुत्र

फगलु एवं चौथाराम का भी स्वर्गवास हो चुका है। फगलु एवं चौथाराम के वारिश अपीलांटस है तथा गिरधारी के वारिस रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 2 है। अन्य रेस्पोडैन्ट पक्षकार संयोजित किया है। जिनके विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा जा रहा है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के गोद जाता है तो वह अपने प्राकृतिक पिता की सम्पति में तमाम अधिकार एवं हक त्याग देता है। इस प्रकार जब गिरधारी पोकरा के गोद चला गया था तो माफिक कानून हनवंता की सम्पति में गिरधारी के तमाम अधिकार स्वत:ही समाप्त हो जाते है। इस कारण गिरधारी का स्वर्गीय हनवन्ता की सम्पति में किसी प्रकार का कोई हक या अधिकार शेष नही रह जाता है। हनवन्ता की मृत्यु के पश्चात उसके दो पुत्र फगलू एवं चौथाराम का ही उनके सम्पति पर कब्जा काश्त रहा है तथा उसके मृत्यु के पश्चात अपीलांटस ही उक्त आराजी पर कब्जे में है। स्वर्गीय गिरधारी का हनवन्ता की आराजी पर किसी प्रकार का न तो कब्जा काश्त पहले था न बाद में रहा है एवं न ही वर्तमान में गिरधारी के वारिशान का उपरोक्त आराजी पर किसी प्रकार से कोई कब्जा काश्त है। गिरधारी का स्वर्गवास दिनांक 20.01.2018 को ग्राम चिम्बडा में हो चुका है। जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी दिनांक 10.02.2018 को जारी किया गया है गिरधारी की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रो व पत्नि द्वारा एक शपथ पत्र बाबत खातेदारी भूमि में नामान्तरकरण भरवाने का दिया गया था। उक्त शपथ पत्र में भी उनके द्वारा गिरधारी को पोकरा के गोद जाना स्वीकार किया है तथा गिरधारी के मृत्यु प्रमाण पत्र में भी उसके पिता का नाम पोकराराम अंकित किया गया है जिससे स्पष्ट है कि गिरधारी पोकरा के गोद चला गया था जिससे गिरधारी के मृतक हनवन्ता की सम्पति में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार उत्पन्न नही होता है जिससे नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है।अपीलांटस सुखराम पुत्र चौथा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.04.2018 को एक प्रार्थना पत्र बाबत गिरधारी के नाम हनवन्ता की आराजी का नामान्तरकरण नहीं करने बाबत का एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथमदृष्टया मामला नामान्तरकरण की कार्यवाही अग्रिम आदेश तक रोके जाने हेतु लिखा गया था एवं सरपंच ग्राम पंचायत दुठबा द्वारा भी उक्त कार्यवाही रोकी गई थी।परन्तु स्वंय के आदेश के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने तरीके से उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है जो निरस्तयोग्य है। नामान्तरकरण पर दिनांक 18.03.2018 का पृष्ठांकन है जिसमें ग्राम पंचायत को यह निर्देशित किया गया है कि वे गिरधारी की वल्दियत के बारे में जांच कर उसके उपरान्त नामान्तरकरण की कार्यवाही करे। जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वंय ने गिरधारी की वल्दियत के संबंध में जांच किये जाने के पश्चात ही नामान्तरकरण की कार्यवाही किये जाने हेतु अभिशंषा की थी परन्तु नामान्तरकरण की कार्यवाही किये जाने के दौरान ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं किया है। जिससे की मृतक हनवंता की सम्पति में गिरधारी बहैसियत पुत्र के अधिकार रखता हो। जिससे नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांटस द्वारा सहायक कलेक्टर चितलवाना में एक वाद बाबत खातेदारी हक की घोषणा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत दिनांक 10.04.2018 को किया जा चुका है जो राजस्व वाद संख्या 08/2018 एवं उसके साथ 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया जो राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 16/2018 अनवान ठाकराराम आदि बनाम बाबु आदि के नाम से दर्ज किया जा चुका था। जिसकी तामील भी रेस्पोडेन्ट संख्या 7 को हो चुकी थी। उसके पश्चात उनके द्वारा नामान्तरकरण की कार्यवाही जानबुझकर की गई है। जिससे नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व तमाम रेकार्डेड खातेदारो को नोटिस नहीं दिया एवं न ही कब्जे की जांच ही की गई। जिससे नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है। अत: अपीलांटस की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/5 व 2/1 से 2/2 के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण खातेदार गिरधारी के फौत होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र,शपथ पत्र जारी व वंश वंशावली के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण दायर कर खोला गया गया है। जो विधीवत है। अत: अपीलांट की अपील अपील अस्वीकार की जावे।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 6 के विद्वान अभिभाषक ने व्यक्त किया कि गिरधारी पोकरा पुत्र चिमा जाति विश्नोई को दिनांक 21.06.1972 को पंजीकृत गोदनामा के जरिये गोद पुत्र बन चुका था। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के गोद जाता है तो वह अपने प्राकृतिक पिता की सम्पति में तमाम अधिकार एवं हक त्याग देता है। इस प्रकार जब गिरधारी पोकरा के गोद चला गया था तो माफिक कानून हनवंता की सम्पति में गिरधारी के तमाम अधिकार स्वत:ही समाप्त हो जाते है। इस कारण गिरधारी का स्वर्गीय हनवन्ता की सम्पति में किसी प्रकार का कोई हक या अधिकार शेष नही रह जाता है। अत: अपीलांटस की अपील स्वीकार की जावे।

6. सरकारी अभिभाषक ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/5 व 2/1 से 2/2 के अभिभाषक द्वारा बहस में बताए गये तर्को का समर्थन किया।

7. मेरे द्वारा बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अध्ययन किया गया ।अपीलाधीन नामान्तरकरण की प्रति का अवलोकन किया गया। यह नामान्तरकरण खातेदार गिरधारी की मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र,

शपथ पत्र व वंश वंशावली के आधारनुसार दायर किया जाकर बाद जांच अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया है। मै रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/5 व 2/1 से 2/2 के विद्वान अभिभाषक व सरकारी अभिभाषक द्वारा बहस में बताये गये तथ्यो से सहमत हूं। जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता होना नहीं पाया जाता है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश जो ग्राम चिम्बडा के नामान्तरकरण संख्या 525 पर पारित किया गया है, में किसी प्रकार की अनियमितता होना नही पाया जाने से अपीलांटस की अपील खारिज करने योग्य है। अत: अपीलांटस की अपील खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण पर पारित आदेश को यथावत रखा जाता है।

(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय 05.09.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर